न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
सत्र वाद संख्या– 145/2024
सरकार बनाम जफरु आदि।

दिनांकः– 28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण निसार, जफरुद्दीन, सुहेल उपस्थित। अभियुक्तगण जफरू व समीर की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, केवल आज के लिए स्वीकृत।

अभियुक्त रफुद्दीन की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि "उपरोक्त सत्र परीक्षण में दिंनाक 14.07.2025. वास्ते साक्ष्य जिरह पी०डब्लू०–3 राशिद हेतु नियत थी। उपरोक्त केस में अभियुक्तगण समीर, जफरू, निसार और सुऐल की ओर से उनके अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिहँ चौहान एडवोकेट द्वारा जिरह चल रही थी। प्रार्थी/अभियुक्त रफूददीन उर्फ रफ्फू के अधिवक्ता अपनी अन्य पत्रावली में नगर पालिका कोर्ट हापुड़ में व्यस्त होने के कारण उपरोक्त केस में उपस्थित होकर जिरह नहीं कर सके, क्योकि समय 3.00 पी.एम. बजे तक उपरोक्त अभियुक्तगण के अधिवक्ता ही जिरह कर रहे थे। प्रार्थी/अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में अपने जूनियर अधिवक्ता को भेजकर कुछ देर बाद आकर जिरह करने की विनती की गयी तथा जब प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित आये तो तब तक माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू के जिरह का मौका समाप्त कर दिया गया। जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू की गवाह पी०डब्लू0–3 से जिरह नहीं हो सकी। प्रार्थी/अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती व लापरवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का जिरह का मौका समाप्त होने से अत्याधिक क्षति है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रुप में होना सम्भव नहीं है तथा उक्त केस को गुण दोष के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू को पी०डब्लू0–3 से जिरह का मौका दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।"

अभियुक्त रफुद्दीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० पर अभियोजन पक्ष/वादी द्वारा इस आशय की लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि "अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा योजित प्रार्थना पत्र उपरोक्त नियम तथा तथ्यों के विपरीत है, कानूनी रूप से प्रगतिशील नहीं है तथा प्रत्येक अवस्था में खण्डित होने योग्य है। उपरोक्त सत्र परीक्षण के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश पत्रावली पर पूर्व से दाखिल है, जिसका कोई अनुपालन अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा जानबूझकर पत्रावली को विलम्बित रखा जा रहा है तथा पूर्व में कई हाजरी काफी प्रार्थना पत्र दिये, जो कि हर्जे पर स्वीकार हुये, लेकिन अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा हर्जा भी अदा नहीं किया गया है। अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा अपने अधिवक्ता महोदय को अन्य न्यायालय में व्यस्त बताकर जिरह न कर पाने का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में दिया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू के अधिवक्ता किसी अदालत में किस कारण से व्यस्त थे कि माननीय न्यायालय में जिरह हेतु नहीं आ सके। अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि जब अभियुक्त के अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित आये तो तब तक माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू का जिरह का मौका समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा यह नहीं बताया है कि उसके अधिवक्ता किस समय न्यायालय में आये। अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा जानबूझकर जिरह नहीं की गई है, जबकि अभियोजन साक्षी निरन्तर जिरह के लिये उपस्थित आते रहे हैं। अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2025.07.29 16:21:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

14.07.2025 को निरस्त कराने की याचना की गई है, जबकि धारा 311 सीआर०पी०सी० में माननीय न्यायालय के आदेश को, माननीय न्यायालय द्वारा ही निरस्त कराने का प्राविधान नहीं है। धारा 311 सीआर०पी०सी० गवाह को गवाही के लिये न्यायालय में बुलाने अथवा पुनः बुलाने के सम्बन्ध में है, जबकि अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू ने प्रार्थना पत्र में गवाह को पुनः बुलाने की याचना नहीं की गई है। जिस कारण अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है तथा खण्डित होने योग्य है। इस प्रकार अभियुक्त रफुददीन उर्फ रफ्फू का प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.07.2025 खण्डित होने योग्य है।"

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक बहस में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्ल्यू०–03 राशिद से जिरह किये जाने की दिनांक पर जानबूझकर जिरह नहीं की गयी तथा वाद को विलंबित रखने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में पी०डब्ल्यू०–03 राशिद की मुख्य परीक्षा 11.06.2025 को अंकित की गयी तथा अभियुक्तगण निसार, समीर, जफरु, सुहेल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्ल्यू०– 03 से उसी दिनांक एवं उसके पश्चात अग्रिम दिनांक 14.07.2025 को जिरह की गयी। अभियुक्त रफुद्दीन की ओर से मुख्य परीक्षा अंकित किये जाने वाली दिनांक 11.06.2025 को स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अग्रिम नियत दिनांक 14.07.2025 को भी साक्षी पी०डब्ल्यू०–03 से जिरह नहीं की गयी, जिस कारण अभियुक्त रफुद्दीन का पी०डब्ल्यू०–03 राशिद से जिरह का अवसर समाप्त किया गया। मामले के सही एवं गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु अभियुक्त रफुद्दीन को पी०डब्ल्यू०–03 राशिद से जिरह किये जाने की अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अभियुक्त रफुद्दीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० 500/– रुपए हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रफुद्दीन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० 500/–रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जे की धनराशि पी०डब्ल्यू०–03 राशिद को देय होगी। नियत दिनांक हेतु साक्षी तलब हो। नियत दिनांक पर साक्षी के उपस्थित रहने पर अभियुक्त रफुद्दीन की ओर से अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त साक्षी से जिरह न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त रफुद्दीन को पी०डब्ल्यू०–03 राशिद से जिरह हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। पत्रावली वास्ते प्रतिपरीक्षा पी०डब्ल्यू०–03 राशिद दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।

दिनांकः– 28.07.2025

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।